(c) As explained in (a) above.

(d) A single TAC for Panaji and Goa is being reconstituted and its tenure will be for a period of two years from the date of reconstituties.

दूरदराज क्षेत्रों में डाकघर खोले जाने के लिए मानदंड

1945. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के गांवों, पिछड़े, दुर्गम, पहाड़ी तथा दूरदराज के क्षेत्रों में डाकघरों के खोले जाने के लिये क्या-क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) इस समय हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जिलावार कितने कितने डाकघर है ; और

(ग) वर्ष 1992–93 में सरकार हिमाचल प्रदेश में जिलावार किन-किन स्थानों पर कितने-कितने नये डाकघर खोलने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिये मानदंड **विवरण–I** में दिये गये हैं। **(नीचे देखिये)**

(ख) हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे डाकघरों की जिला वार सख्या **विवरण–II** में दी गई है। **(नीचे देखिये)**

(ग) यद्यपि, वार्षिक योजना 1992–93 के दौरान हिमाचल प्रदेश में 15 नये शाखा डाकघर और 1 विभागीय उप-डाकघर खोल कर, बशर्ते इनका औचित्य हो, डाक सुविधाओं की उपलब्धता में और विस्तार करने का प्रस्ताव है, परन्तु इस संबंध में जिलावार ब्यौरा देना संभव नहीं है क्योंकि किसी डाकघर विशेष का अभिनिर्धारण प्रत्येक प्रस्ताव की जांच – पड़ताल करते समय ही किया जाता है।

विवरण–I

डाकघर खोलने के मानदंड : 1–4–1991 से प्रभावी।

शाखा डाकघर :

सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में।

(i) **जनसंख्या :**

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3,000।

(ii) **दूरी :**

मौजूदा नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 किलोमीटर होगी।

(iii) **अनुमानित राजस्व :**

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत होगी।

(i) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम ग्रामीण इलाकों में :

जनसंख्या :

किसी एक गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1,000।

(ii) **दूरी :**

पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिस का उपर उल्लेख किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में निदेशालय द्वारा न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है।

(iii) **अनुमानित आय :**

न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होगी।

विवरण II

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की जिलावार संख्या :

क्रम सं०	जिले का नाम	डाकघरों की संख्या
1	बिलासपुर	129
2	चम्बा	208
3	हमीरपुर	208
4	किन्नौर	70
5	कुल्लू	138
6	लाहौल स्पीति	44
7	मंडी	319
8	शिमला	318
9	सिरमौर	156
10	सोलन	155
11	ऊना	171
12	कांगड़ा	600

Sanctioning of Telephones under M.P. quota for Goa

1946. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what is the number of telephone connections, sanctioned, under M.Ps. quota, which are pending in Goa and what is the period of delay;

(b) what are the reasons that these connections were not sanctioned despite these being feasible as new connections are being released in the same area and the connections sanctioned from M.Ps under out of turn quota are kept pending for years, now; and

(c) what action Government are contemplating against the erring officers?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Out of a total of 15 telephone connections sanctioned under M.Ps' quota, 8 cases are pending to be provided connection for about 4 months due to technical non-feasibility.

(b) All telephone connections sanctioned on out ofturn basis including those sanctioned out of M.Ps' quota, are being provided in turn according to their date of sanction subject to their being technically feasible.

(c) Does not arise.

Pending Telephone Connections in Goa

1947. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that over 600 new telephones were sanctioned at Panaji Telephone Exchange in Goa in the year 1989;

(b) if so, how many of these connections have been granted to the subscribers till date;

(c) what is the number of new connections granted out of turn without granting old connections; and

(d) at whose instructions such out of turn connections were granted and also the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir.

(b) Sanction for 717 subscribers have been issued during 1989. 682 have been provided. Out of these, 35 sanctions were cancelled as Non-bonafide cases and capacity released for next waiting subscribers.

(c) Seven out-of-turn telephone connections have been provided.

(d) These out of turn telephone connections were sanctioned by the Ministry of Communications from their discretionary quota.